निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 652) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

17 अप्रील 2015

सं0 22/नि0सि0(पट0)–03–12/2010/901––श्री संजय कुमार सिन्हा, अधीक्षण अभियंता जब कार्यपालक अभियंता के पद पर बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोकामा, शिविर–बख्तियारपुर पदस्थापित थे जब उनके विरूद्ध एन0 टी0 पी0 सी0, बाढ़ के लिये कराये जा रहे सतही नाला एवं पहुँच पथ के निर्माण कार्य के सिलसिले में संबंधित कार्य का एकरारनामा विखंडित करने के पश्चात संवेदक द्वारा जमा किये गये 55.68 लाख रू0 का बैंक गारंटी को रिभोक करने की कार्रवाई समय पर नहीं किये जाने के फलस्वरूप बैंक गारंटी की राशि लैप्स हो जाने के कारण सरकार को 55.68 लाख रू0 की क्षति होने तथा संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 302 दिनांक 27.03.12 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 633 दिनांक 14.06.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी (विभागीय जॉच आयुक्त) से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक का एकरारनामा दिनांक 02.04.09 को विखंडित होने के करीब दो महीना बाद विलम्ब से दिनांक 06.06.09 से बैंक गारंटी इनभोक करने की कार्रवाई आरोपित के द्वारा शुरू की गयी। दिनांक 06.06.09 को श्री सिन्हा के द्वारा स्वयं इस महत्वपूर्ण बिन्दु का ध्यान आने पर कार्रवाई प्रारम्भ करने के पश्चात आगे उनके द्वारा किये गये में Conduct में अपेक्षित संभव सजगता की कमी, विवेक की कमी, अधीनस्थ पर समुचित पर्यवेक्षण का अभाव और संभव वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित न करने जैसे

बरते गये चूक की वजह से बैंक गारंटी की राशि लैप्स हुई। इस चूक के कारण सरकार को क्षति पहुँची और इसका अप्रत्यक्ष नतीजा निकला कि संवेदक को अनुचित लाभ प्राप्त हो गया। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 1059 दिनांक 05.09.13 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री सिन्हा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में निम्न तथ्य दिया गया हैः–

मेरे द्वारा बैंक गारंटी की राशि जप्त करने के लिए दिनांक 06.06.09 से ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी थी। इस संबंध में प्रमंडलीय कार्यालय के पत्रांक 665 दिनांक 06.06.09 द्वारा बैंक गारंटी इनभोक करने हेतु प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, रॉची को पत्र लिखा गया। इसके लिए श्री लाल देव रजक, लेखा लिपिक को प्राधिकृत करते हुए उन्हें स्वयं रौंची जाकर पत्र हस्तगत कराने का निदेश दिया गया। परन्तु श्री रजक रॉची न जाकर पत्र को दिनांक 08.06.09 को स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दिया जो बैंक में दिनांक 12.06.09 को प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त श्री सिन्हा द्वारा यह भी कहा गया है कि मूल बैंक गारंटी के पृ0–4 पर अंकित है कि ''This guarantee shall be valid upto 28 days from the date of expiry of the defect liability period.'' बैंक ने अपने लिखे पत्र दिनांक 13.06.09 में स्वीकार किया है कि प्रमंडल का पत्रांक 665 दिनांक 06.06.09 उन्हें दिनांक 12.06.09 को प्राप्त हो गया है। अगर बैंक चाहती तो उक्त बैंक गारंटी की राशि इनभोक हो सकता था।

श्री सिन्हा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा में पाया गया कि इनके इस कथन को मान्य नहीं किया जा सकता है कि इनके द्वारा दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से किया गया है क्योंकि श्री लाल देव रजक, लेखा लिपिक को पत्र लेकर रॉची जाने के लिए प्राधिकृत किया गया परन्तु श्री रजक द्वारा रॉची नहीं जाकर पत्र को स्पीड पोस्ट से भेज दिया। श्री सिन्हा द्वारा एक बार भी जानने का प्रयास नहीं किया गया कि श्री रजक उक्त पत्र को लेकर रॉची बैंक में उपलब्ध कराने गये या नहीं। वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री सिन्हा के विरूद्ध अपने दायित्वों के निर्वहन में अपेक्षित सजगता की कमी, विवेक की कमी, अपने अधीनस्थ पर समुचित पर्यवेक्षण का अभाव और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित न करने जैसे बरते गये चूक की वजह से बैंक गारंटी की राशि लैप्स होने का आरोप प्रमाणित है। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 1958 दिनांक 15.12.14 द्वारा श्री सिन्हा को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दंड संसूचित किया गयाः–

1. एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

2. निलंबन अवधि के सेवा का निरूपण एवं वेतन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 7876 दिनांक 20.05.13 के आलोक में नोटिस निर्गत कर निर्णय लिया जायेगा।

उक्त दंडादेश की कंडिका–2 के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 2116 दिनांक 30.12.14 द्वारा श्री सिन्हा को नोटिस निर्गत किया गया। उक्त के संदर्भ में श्री सिन्हा द्वारा अपना प्रतिवेदन पत्रांक 67 दिनांक 10.02.15 तथा दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक 68 दिनांक 10.02.15 समर्पित किया गया।

श्री सिन्हा से प्राप्त अभ्यावेदनों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। पाया गया कि इनके द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी हैः–

दो–दो बाढ़ संबंधी कार्य प्रमंडलों के प्रभारी रहने के कारण बाढ़ सुरक्षा एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर उच्च प्राथमिकता दी गयी ताकि जान–माल का नुकसान न हो। फिर भी एन0 पी0 टी0 सी0, बाढ़ द्वारा दिये गये डिपोजिट मद की राशि से उनका कार्य यानि बाढ़ स्थित थर्मल पावर परिसर के सतही नाला एवं सड़क निर्माण कार्य में प्रगति धीमी रहने के कारण एवं कार्य ससमय पूरा हो सके इसके लिए कार्य का एकरारनामा उनके द्वारा विखंडित कर दिया

गया तथा संवेदक द्वारा समर्पित परफारमेन्स बैंक गारंटी को जप्त करके वांछित राशि रू0 55.68 लाख का बैंक ड्राफ्ट देने हेतु पत्रांक 665 दिनांक 06.06.09 द्वारा संबंधित बैंक जो झारखंड राज्य का था, से आग्रह किया गया। बैंक गारंटी की निस्तारित अवधि 10.06.09 थी। परन्तु बैंक के नकारात्मक रवैये एवं संवेदक के पक्ष में कार्य किये जाने के वजह से उक्त राशि सरकारी खजाने में प्राप्त नहीं हो सका।

श्री सिन्हा से प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा में पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा पत्रांक 665 दिनांक 06.06.09 को लेकर रॉची जाने हेतु श्री लाल देव रजक, लेखा लिपिक को प्राधिकृत किया गया, परन्तु श्री रजक द्वारा उक्त पत्र को लेकर रॉची न जाकर स्पीड पोस्ट से भेज दिया। श्री सिन्हा द्वारा एक बार जानने का भी भी प्रयास नहीं किया गया कि श्री रजक उक्त पत्र को लेकर रॉची बैंक में प्राप्त कराने गये या नहीं। इस प्रकार श्री सिन्हा द्वारा अपना दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया तथा अपने अधीनस्थ पर समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया जिसके चलते बैंक गारंटी की राशि लैप्स हो गयी। समीक्षा में यह भी पाया गया कि इनके द्वारा पूर्व में कही गई बातों को ही मुख्य रूप से दुहराई गई है।

समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्योवदन तथा निलंबन अवधि की सेवा का निरूपण एवं वेतन भत्ता के अनुमान्यता के संबंध में समर्पित प्रतिवेदन को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया एवं पूर्व में संसूचित दंड को यथावत रखते हुए निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी, का निर्णया लिय गया।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सिन्हा, अधीक्षण अभियंता का पुनर्विलोकन अर्जी तथा निलंबन अवधि की सेवा का निरूपण एवं वेतन भत्ता के अनुमान्यता के संबंध में समर्पित अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0 1958 दिनांक 15.12.14 द्वारा संसूचित दंड को यथावत रखा जाता है। साथ उक्त दंडादेश के कंडिका–2 के संदर्भ में निम्न निर्णय संसूचित किया जाता हैः–

''निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।'

उक्त निर्णय श्री संजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोकामा, शिविर–बख्तियारपुर समप्रति अधीक्षण अभियंता, योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, गया को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 652-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in